

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:—नर्सिंग/नर्स-2(F)/आर-24/2018/ दिनांक:—


प्रधानाचार्य,
चिकित्सा महाविद्यालय एवं
नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय,
जयपुर।

विषय:—श्रीमती रजनी कुमारी नर्स - 2 के विदेश यात्रा अवधि के अवकाश में अभिवृद्धि करने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमती रजनी कुमारी नर्स -2 को निदेशालय के आदेश क्रमांक 311 दिनांक 05.03.2018 के द्वारा निर्धारित शर्तों के अध्याधीन विदेश जाने की अनुमति एवं अवकाश स्वीकृत किया गया था । जिसमें स्पष्ट अंकित था कि स्वीकृत अवकाश में किसी भी प्रकार की अभिवृद्धि नहीं की जावेगी एवं अवकाश सम्पत्ति के पश्चात अपने कर्तव्य पर उपस्थित होगी ।

उपरोक्त स्थिति में विदेश में रहते हुये अवकाशों में वृद्धि किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कार्मिकों को तत्काल अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द करे एवं अवकाश में अभिवृद्धि नहीं करने की सूचना से भी अवगत करावे ।



संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग/नर्स-2(F)/आर-24/2018/1524

दिनांक:— 31-10-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 2- प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर